**संख्या-98/2015/1310/41-2015-98 यो0/15**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 08 जून 2015

**विषय- राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित रोजीडेन्सी के ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-386/6-1-1(437)/2015, दिनांक 27-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित रेजीडेन्सी के ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यदायी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-557.85 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-278.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

**1.** रेजीडेन्सी लखनऊ में ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के संचालन व उसके रखरखाव हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को नामित किया जाता है।

2- योजना के अनुश्रवण एवं सलाह हेतु पृथक से एक समिति गठित की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

**4.** स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

**5.** कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

**6.** यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

shasanadesh.up.nic.in

**7.** सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

**8.** यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

**3-** उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

**<u>संख्या-98/2015/1310 (1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in